बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ0प्र0–1–73/2018 24 /पटना, दिनांक :– 8.7.21

श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, तत्कालीन लेखा लिपिक द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश संख्या–165 दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No-15751/2016 में दिनांक 06.07.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन को निष्पादित करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–9506 दिनांक 11.08.2017 द्वारा श्री सिंह को अविलंब नवपदस्थापन कार्यालय कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज में योगदान देने का निदेश दिया गया।

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1040 दिनांक 17.08.2016 द्वारा विरमित कर दिये जाने के बावजूद नवपदस्थापन स्थान पर श्री सिंह द्वारा योगदान समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिये कार्यालय आदेश संख्या–85 सह–पठित ज्ञापांक–3103 दिनांक 21.12.2018 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–87 सह–पठित ज्ञापांक–3105 दिनांक 24.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

3. निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय (मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) में श्री सिंह द्वारा योगदान नहीं देने के कारण इनके विरूद्ध पूरक आरोप पत्र गठित किया गया। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक–1613 दिनांक 05.10.2020 द्वारा श्री सिंह को निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में योगदान देने एवं विभागीय कार्यवाही में सम्मलित होने का निदेश दिया गया।

4. उक्त कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने के दौरान ही श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, तत्कालीन लेखा लिपिक (निलंबित) की मृत्यु दिनांक 11.01.2021 को हो जाने की सूचना इनकी पत्नी के आवेदन दिनांक 25.05.2021 द्वारा विभाग को दी गई है। इस प्रकार श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, तत्कालीन लेखा लिपिक की मृत्यु निलंबन अवधि एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही हो गई।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के कंडिका–11(2) में यह प्रावधान हैं कि "इस नियमावली के नियम–10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा"। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–8811 दिनांक 18.07.2017 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि "विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में,

संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा"।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में :–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के कंडिका–11(2) के तहत स्व० सिंह के निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि (21.12.2018–10.01.2021) को सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित की जाती है तथा उक्त अवधि के लिये पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(ii) स्व० सिंह के विरूद्ध प्रश्नगत् आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–73/2018 820 /पटना, दिनांक :– 8.7.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–73/2018 820 /पटना, दिनांक :– 8.7.21

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1/फारबिसगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती गीतावली देवी, पत्नी स्व० सत्येन्द्र बहादुर सिंह, पत्राचार का पता :– द्वारा–ओम प्रकाश, मकान संख्या–30, मो०–काजीपुर (पीपल तल), पत्रालय–बाँकीपुर, पटना, पिन कोड–800004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख